

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 624 / 2016

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 624 / 2016

संस्थापित दिनांक 07 / 10 / 2016

फाइलिंग नम्बर 3014042016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र लोकेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 21 साल
2. रणजीत उर्फ पालो पुत्र दशरथ सिंह गुर्जर उम्र 19साल
निवासी ग्राम पारसेन पुलिस थाना बिजौली हॉल गल्ला
मंडी के सामने गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
3. ध्यानेन्द्र उर्फ ध्यानू पुत्र लोकेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 20साल
4. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र लोकेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 25साल
समस्त व्यवसाय खेती निवासीगण ग्राम गुरीखा पुलिस थाना
बिजौली, हॉल गल्ला मंडी के सामने गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 452, 324 / 34 भा.दं.सं)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीणसिकरवार)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री आर0पी0गुर्जर ।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 21 / 12 / 2016 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 25 / 12 / 15 को 12:45 बजे फरियादी यशप्रताप सिंह तोमर के घर के सामने मण्डी तिराहा गोहद के सार्वजनिक स्थल पर फरियादी यशप्रतापसिंह तोमर को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी यशप्रतापसिंह तोमर की दुकान में उपहति कारित करने तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित करने, फरियादी यशप्रतापसिंह तोमर को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी यशप्रताप की आक्रामक धारदार आयुध कुल्हाड़ी से एवं आहत सन्नू की डण्डों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी अजीत पर भा.दं.सं. की धारा 294, 452, 506 भाग2, 324 एवं 323 तथा आरोपी ध्यानेन्द्र उर्फ ध्यानू, राजकुमार उर्फ राजू एवं रणजीत उर्फ पालो पर भा.दं.सं. की धारा 294, 452, 506 भाग2, 324 / 34 एवं 323 के अंतर्गत आरोपी है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25 / 12 / 15 को दिन के करीबन 12:45 बजे फरियादी यशप्रताप सिंह तोमर अपने मकान में परचून की दुकान पर ग्राहकों को सौदा दे रहा

था तभी आरोपी अजीत, पालो, राजू, ध्यानू दुकान पर आ गये थे और उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे थे। अजीत ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी थी तथा पालो, राजू और ध्यानू ने डण्डों से मारपीट की थी जिससे उसकी पीठ में मुंदा चोटें आयी थीं। मौके पर जब सका भाई सन्नू बचाने आया था तो आरोपीगण ने सन्नू की भी मारपीट की थी। मौके पर उसके घरवाले आ गये थे, जिन्होंने उसे बचाया था एवं घटना देखी थी। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी, उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र. 446/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी यशप्रताप एवं आहत सन्नू उर्फ सोनू द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी ध्यानू उर्फ ध्यानू, अजीत, राजकुमार उर्फ राजू एवं रणजीत उर्फ पालो को भा.दं.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग 2 के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी अजीत पर भा.दं.सं. की धारा 452 एवं 324 तथा शेष आरोपीगण पर भा.दं.सं. की धारा 452, 324/34 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 25.12.15 को 12:45 बजे फरियादी यशप्रताप सिंह तोमर की दुकान में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर ग्रह अतिचार कारित किया?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी यशप्रताप सिंह तोमर की आक्रामक धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की?
6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी यशप्रताप अ.सा. 1 एवं आहत सन्नू अ.सा. 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी यशप्रताप अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पहले दिन के बारह एक बजे की है। वह परचून की दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रहा था तो आरोपी अजीत, पालो,

राजू, ध्यानू उसकी दुकान के सामने आये थे। आरोपीगण ने उसे बुलाया था तो वह दुकान से उठकर आरोपीगण के पास गया था। आरोपीगण से पूर्व की रंजिश को लेकर उसका मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गालीगलोज कर दी थी। आरोपीगण से मुंहवाद रास्ते में हुआ था अन्य कोई बात नहीं हुयी थी, उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने दुकान के अंदर घुसकर उसकी लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अजीत ने उसकी सिर में कुल्हाड़ी मारी थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा दुकान में घुसकर मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 और पुलिस थाना प्रदर्श पी 2 में पुलिस को लिखाई थी।

9. आहत सन्नू अ.सा. 2 ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को उसकी भाई यशप्रताप सिंह का आरोपीगण से दुकान के सामने रास्ते में मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गालीगलोज कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुयी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने दुकान के अंदर घुसकर यशप्रताप की लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट की थी।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी यशप्रताप अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसकी दुकान के सामने रास्ते में उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गालीगलोज कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुयी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने दुकान के अंदर घुसकर उसकी मारपीट की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपी अजीत ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी थी। आहत सन्नू अ.सा. 2 ने भी यशप्रताप का आरोपीगण से दुकान के सामने रास्ते में मुंहवाद होना बताया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने दुकान के अंदर घुसकर यशप्रताप की लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट की थी।

12. इस प्रकार फरियादी यशप्रताप अ.सा. 1 एवं आहत सन्नू अ.सा. 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण से मात्र मुंहवाद तथा आरोपीगण द्वारा मात्र गालीगलोज करना बताया है। उक्त साक्षीगण द्वारा इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने झगड़े के दौरान दुकान के अंदर घुसकर यशप्रताप की मारपीट की थी। स्वयं फरियादी यशप्रताप ने भी आरोपीगण द्वारा दुकान के अंदर घुसकर उसकी मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने दुकान के अंदर घुसकर आकामक धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी

यशप्रताप की मारपीट की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

13. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 25.12.15 को 12:45 बजे फरियादी यशप्रताप सिंह तोमर की दुकान में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर ग्रह अतिचार कारित किया एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी यशप्रताप की आक्रामक आयुध धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी अजीत को भा.दं.सं. की धारा 452 एवं 324 तथा आरोपी ध्यानेंद्र उर्फ ध्यानू, रणजीत उर्फ पालो एवं राजकुमार उर्फ राजू को भा.दं.सं. की धारा 452 एवं 324/34 के आरोपी से दोषमुक्त करती है।

15. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

16. प्रकरण में जब्तशुदा कुल्हाड़ी एवं डण्डे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़-तोड़ कर नष्ट किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 21/ 12/16

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित

किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)